


कार्यालय जिला न्यायाधीश, पीलीभीत
संख्या 325/2020 दिनांक : अगस्त 27, 2020

आदेश

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के पत्रांक मु0चि0अ0/कोविड-19/2020-21/624 दिनांकित 27.08.2020 के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद न्यायालय, पीलीभीत में-नियुक्त श्री विवेक कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनन्य पोक्सो न्यायालय, पीलीभीत जिला चिकित्सालय, पीलीभीत में ट्रूनाट विधि द्वारा कोविड-19 टेस्ट दिनांक 27.08.2020 को किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट धनात्मकपायी गयी, जिनका केस आई0डी0नम्बर PILN005166040 है।
2. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII&CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 03.06.2020 के बिन्दु सं0 15 पर निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं :-
15- Where the District Administration/CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court.
3. अतः मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के उपरोक्त पत्रांक के क्रम व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत दिनांक 28.08.2020 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है। उपरोक्त तिथि में बाह्य न्यायालय, बीसलपुर यथावत क्रियाशील रहेगा। दिनांक 29.08.2020 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1293/LXXXVII-CPC/eCourts/ Allahabad दिनांकित 16.07.2020 के अनुपालन में शनिवार होने के कारण समस्त न्यायालय बन्द रहेंगे तथा दिनांक 30.08.2020 को रविवार का सार्वजनिक अवकाश है।
4. माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 28.07.2020 के अनुपालन में दिनांक 28.08.2020, को जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत बन्दी दिवस में सत्र न्यायालय, विशेष क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित न्यायालय, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (प्रवर खण्ड), सिविल जज (अवर खण्ड) के पीठासीन अधिकारी माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार अपने आवास के कार्यालय से कार्य सम्पादित करेंगे। यदि उपरोक्त न्यायालय रिक्त अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं, तो ऐसे न्यायालयों का कार्य उनके प्रभारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 19.08.2020 में निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
6. श्री विवेक कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनन्य पोक्सो, पीलीभीत के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उक्त न्यायालय का न्यायिक कार्य भी न्यायालय के प्रभारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
7. यह भी आदेशित किया जाता है कि दिनांक 28.08.2020 को नियत समस्त वादों में सामान्य तिथि नियत किया जाना सुनिश्चित किया जाये और इसकी सूचना कम्प्यूटर अनुभाग को दी जाये जो उसे न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करे तथा एस.एम.एस. के माध्यम से अधिवक्ता तथा पक्षकारों को सूचित करे।
8. निर्णय/बहस/अति आवश्यक मामले अपवाद होंगे तथा उसमें नजदीक की तिथि आवश्यकतानुसार नियत की जाये, जिसकी सूचना भी उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर अनुभाग तथा उनके स्तर से सम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी।

9. प्रभारी अधिकारी नज़ारत, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2020 को समस्त न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय एवं बार परिसरों का सैनेटाइजेशन कराकर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 31.08.2020 को न्यायालय खोले जाने से पूर्व भी समस्त न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय एवं बार परिसरों का सैनेटाइजेशन कराकर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त अवकाश व न्यायालय बन्दी की अवधि में रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिवसों की भांति करना सुनिश्चित करें।
11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश का दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना एवं अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
12. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय, पीलीभीत की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त सम्बन्धित सूचित हों। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये।


दिनांक : अगस्त 27, 2020


(महबुब अहमद),
जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत
27.08.2020

पत्रांक 1584 / प्रशा10-2020 दिनांकित : अगस्त 27, 2020
40
1591

1. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
2. पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
3. जेल अधीक्षक, पीलीभीत।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
6. अध्यक्ष/सचिव, जिला संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत।
7. अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार एसोसियेशन, पीलीभीत।
8. अध्यक्ष/सचिव, सेन्ट्रल बार एसोसियेशन, पीलीभीत।

दिनांक : अगस्त 27, 2020


(महबुब अहमद),
जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत
27.08.2020